न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– श्री रणजीत कुमार आरएएस

मुकदमा संख्या :– 92/2022

अनवान मुकदमा –

1. संदीपराज पुत्र मनीराम जाति बिश्नोई साकिन वार्ड नं. 01 गुरदयाल कॉलोनी न्यू घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

-- वादी

बनाम

1. धनुशांत पुत्र संदीपराज जाति बिश्नोई साकिन वार्ड नं. 01 गुरदयाल कॉलोनी न्यू घड़साना जिला श्रीगंगानगर
2. पवन कुमार पुत्र अमरनाथ जाति अग्रवाल साकिन वार्ड नं. 03 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. बनवारीलाल पुत्र ओमप्रकाश जाति ओड साकिन वार्ड नं. 02 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. रणजीत पुत्र ओमप्रकाश जाति ओड साकिन वार्ड नं. 02 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. हरदीपसिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख साकिन खरिलयां तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. गुरमीत सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख साकिन खरिलयां तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
7. सोहन सिंह पुत्र चंदसिंह जाति जटसिख साकिन अहमदपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
8. मोहन सिंह पुत्र चंद सिंह जाति जटसिख साकिन अहमदपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
9. गुलाबचन्द पुत्र रामकिशन जाति अरोड़ा साकिन अहमदपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
10. राष्ट्रपति भारत सरकार जरिये राज्यपाल राजस्थान सरकार ।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।

– – प्रतिवादीगण

–: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 रा.का.अधि. बाबत घोषणा एवं विभाजन :–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता --- वादी
2. श्री बलवीर मोयल अधिवक्ता --- प्रतिवादी सं. 1 ता 8
3. राज पेरोकार तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा --- प्रतिवादी सं. 10 व 11

–:: निर्णय :–

दिनांक – 17/06/2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:12:09 IST
Reason: Self Attested

वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 आर. टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण का स्थाई पता वाद पत्र के शीर्षक में व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 14 ए के अनुसार सही अंकित किया गया है। वाद पत्र दो प्रतियो मय शपथ पत्र मे समर्पित प्रस्तुत किया गया है।

वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 10 के नाम से संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 18 पीबीएन-ए के खाता सं. 142 के प.

17.06.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

नं. 16/315, 17/315 की 3.832 हैक. नहरी अ.क. गै.मु. रास्ता मे प्रतिवादी सं. 9 का 253/1916 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 का 1157/3832 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 का 253/3832 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 का 63/7664 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 4 का 63/7664 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 8 का 203/7664 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 9 का 203/7664 हिस्सा, प्रतिवादी सं.10 का 493/3832 हिस्सा, वादी का 1157/3832 हिस्सा मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है । प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र की गई है।

संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 18 पीबीएन–ए के खाता सं. 3 के प.नं. 17/314, 17/315, 18/314, 18/315 की 4.402 हैक. नहरी अ.क. म.गै.मु. मे से प्रतिवादी सं. 2 का 759/4402 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 6 का 2947/8804 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 का 174/2201 हिस्सा, प्रतिवादी सं.4 का 174/2201 हिस्सा, प्रतिवादी सं.5 का 2947/8804 हिस्सा मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है । प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र की गई है।

वादी व प्रतिवादी सं. 1 के नाम से संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 18 पीबीएन–ए के खाता सं. 132 के प.नं. 16/315 की 1.443 हैक. ब.हि.ब. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है । प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र की गई है।

प्रतिवादी सं. 5–6 के नाम से संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 18 पीबीएन–ए के खाता सं. 135 के प.नं. 16/315, 18/314 की1.809 हैक. ब.हि.ब. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है । चित्रप्रति जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र की गई है ।

वाद पत्र की दफा 2 ता 5 मे वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 10 के नाम वर्णित कृषि संयुक्त खाता की कृषि भूमि दर्ज राजस्व अभिलेख है जिसका कुछ समय पूर्व ही अच्छी मंदी व काश्त की सहुलियत के हिसाब से घरा घरू बंटवारा हुआ जो निम्न प्रकार से है :–

क. वादी व प्रतिवादी सं. 1 को ब.हि.ब घरू बंटवारा एवं कब्जा काश्त मे प्राप्त कृषि भूमि :–

चक	प.नं.	किला	तादादी
18 पीबीएन–ए	16/315	1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 8, 11/1, 11/2, 11/4 12, 13, 18, 19/1, 20	2.352 हैक.

ख. प्रतिवादी सं. 2 की 1.012 हैक., प्रतिवादी सं. 3 की 0.3795 हैक., प्रतिवादी सं. 4 की 0.3795 हैक. घरू बंटवारा एवं कब्जा काश्त मे प्राप्त कृषि भूमि :–

चक	प.नं.	किला	तादादी
18 पीबीएन–ए	17/314	16/1, 16/2, 25/1, 25/2	0.506 हैक.
		17/3153/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 9, 10	1.265 हैक.

ग. प्रतिवादी सं. 5 को घरू बंटवारा एवं कब्जा काश्त मे प्राप्त कृषि भूमि :–

चक	प.नं.	किला	तादादी
18 पीबीएन–ए	18/314	16/1, 16/2, 17, 25/1, 25/2	2.277 हैक.
	18/315	14/1/.059, 14/2/.017,15/1, 15/2	0.127 हैक.
		कुल	2.404 हैक.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:12:09 IST
Reason: SelfAttested

17.06.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

घ.प्रतिवादी सं. 6 को घरू बंटवारा एवं कब्जा काश्त मे प्राप्त कृषि भूमि :-

चक	प.नं.	किला	तादादी
18 पीबीएन–ए	18/315	1/1 ता 5/3, 13, 14/1/.105, 14/2/.021, 18/1	1.657 हैक.
	17/315	14/1, 15/1, 16, 17, 25/2	0.847 हैक.
		कुल	2.504 हैक.

शेष कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 9, 10 की बदस्तुर है ।

वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 6 का कब्जा घरू बंटवारा के समय से वाद पत्र की दफा 6 "क से घ" मे वर्णितानुसार भूमि पर चला आ रहा है और वर्तमान मे भी वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 6 इसी अनुसार काबिज काश्त तथा फसल काश्त की हुई है। वर्तमान राजस्व अभिलेख मे समस्त कृषि भूमि संयुक्त खाता की कृषि भूमि है जिससे आये दिन सींव बट व रकम राज को लेकर पक्षकारान के मध्य तनाजा बना रहता है और वादी को कृषि कनैक्शन लेने, डिग्गी, फव्वारा व राज्य व केन्द्रीय एवं अन्य पेयजल संबंधी योजनाओं का लाभ लेने मे काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है इसलिए वादी वाद पत्र की दफा 6 "क" मे वर्णितानुसार अपने कब्जा काश्त की कृषि भूमि की घोषणा करवाने एवं आपसी खाता तकसीम प्रतिवादीगण से अलग करवाने का अधिकारी है जो कि घोषित एवं खाता तकसीम किया जाकर रकम राज अलग कायम की जावे।

अतः वाद वादी पेश कर निवेदन किया गया है कि वाद वादी निम्नानुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जावे :-

क. वादी व प्रतिवादी सं. 1 वाद पत्र की दफा 6 "क" मे वर्णित कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है

ख. मुताबिक अनुतोष "क" वादी व प्रतिवादी सं. 1 के कब्जा काश्त की कृषि भूमि का आपसी खाता तकसीम किया जाकर रकम राज अलग कायम की जावे ।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 8 मय अधिवक्तागण न्यायालय में हाजिर आये। उभयपक्ष के वकीलों द्वारा पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा अदालत हाजा के समक्ष पेश किया और प्रार्थना की गई कि दोनो पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गई। पहचान सिद्व होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 9 सम्मन तामिल होने के पश्चात् भी उपस्थित नहीं आया। अतः प्रतिवादी संख्या 9 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। तहसीलदार पीलीबंगा की मौका रिपोर्ट क्रमांक रीडर/2022/404 दिनांक 01.06.2022 के द्वारा प्राप्त हुई जिसे शामिल मिसल किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

इस सम्बंध में आरआरडी 1981 पेज 512 आरटीए की धारा 40–53, 38–39–40, आरआरडी 1966 पेज 71 एआईआर 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आरआरडी पेज 219 आरआरडी [illegible] (एससी) 432 आरआरडी 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर[illegible] की [illegible] 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी सम[illegible] बंटवारा किया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:12:09 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन[illegible] अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.

17.06.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषको में जोत के विभाजन की सहमति हो जाये तो ऐसी सहमति के आधार पर डिक्री की जा सकती है।

–:: आदेश ::–

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवोकन किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 6 की पैतृक खातेदारी भूमि है जो जद्दी जायदाद होने के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि के निम्नानुसार खाता विभाजन किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है –

क. वादी व प्रतिवादी सं. 1 को ब.हि.ब :–

चक	प.नं.	किला	तादादी
18 पीबीएन–ए	16/315	1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 8, 11/1, 11/2, 11/4 12, 13, 18, 19/1, 23	2.352 हैक.

ख. प्रतिवादी सं. 2:–

चक	प.नं.	किला	तादादी
18 पीबीएन–ए	17/315	3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 9, 10	1.012 हैक.

ग. प्रतिवादी सं. 3–4 को ब.हि.ब.:–

चक	प.नं.	किला	तादादी
18 पीबीएन–ए	17/314	16/1, 16/2, 25/1, 25/2	0.506हैक.
	17/315	5/1, 5/2	0.253हैक.
		कुल	0.759हैक.

घ. प्रतिवादी सं.5:–

चक	प.नं.	किला	तादादी
18 पीबीएन–ए	18/314	16/1, 16/2, 17, 19 ता 24 25/1, 25/2	2.277 हैक.
	18/315	14/1/.059, 14/2/.017,15/1, 15/2	0.127 हैक.
		कुल	2.404 हैक.

ड.प्रतिवादी सं. 6:–

चक	प.नं.	किला	तादादी
18 पीबीएन–ए	18/315	1/1 ता 5/3 [illegible] 14/1/.105, [illegible]/.021, 18/1	1.657 हैक.
	17/315	14/1, 15/1 [illegible], 17, 25/2	0.847 हैक.
		कुल	2.504 हैक.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:12:09 IST
Reason: SelfAttested

ड.प्रतिवादी सं. 9 को 0.506 है0 प्रतिवादी संख्या 10 को 0.493 है0 :–

17.06.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

चक	प.नं.	किला	तादादी
18 पीबीएन-ए	17/315	1/1 ता 2/2, 18/2/0.240, 23/0.253	0.999 हैक.

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

17.06.2022

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर एवं पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:12:09 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई

(आ0-20 रूल 6, 7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आर.ए.एस

मुकदमा संख्या :- 92/2022

अनवान मुकदमा –

1. संदीपराज पुत्र मनीराम जाति बिश्नोई साकिन वार्ड नं. 01 गुरदयाल कॉलोनी न्यू घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

-- वादी

बनाम

1. धनुशांत पुत्र संदीपराज जाति बिश्नोई साकिन वार्ड नं. 01 गुरदयाल कॉलोनी न्यू घड़साना जिला श्रीगंगानगर
2. पवन कुमार पुत्र अमरनाथ जाति अग्रवाल साकिन वार्ड नं. 03 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. बनवारीलाल पुत्र ओमप्रकाश जाति ओड साकिन वार्ड नं. 02 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. रणजीत पुत्र ओमप्रकाश जाति ओड साकिन वार्ड नं. 02 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. हरदीपसिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख साकिन खरिलयां तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. गुरमीत सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख साकिन खरिलयां तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
7. सोहन सिंह पुत्र चंदसिंह जाति जटसिख साकिन अहमदपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
8. मोहन सिंह पुत्र चंद सिंह जाति जटसिख साकिन अहमदपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
9. गुलाबचन्द पुत्र रामकिशन जाति अरोड़ा साकिन अहमदपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
10. राष्ट्रपति भारत सरकार जरिये राज्यपाल राजस्थान सरकार ।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।

– – प्रतिवादीगण

-: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. बाबत घोषणा:-

-:: निर्णय ::-

दिनांक -17/06/2022

वादी की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 8 की ओर श्री बलवीर [illegible] अधिवक्ता [illegible] आज दिनांक को रणजीत कुमार आरएएस उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा एवं [illegible] सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए [illegible] की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि के निम्नानुसार खाता विभाजन किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है –

क. वादी व प्रतिवादी सं. 1 को ब.हि.ब :-

17.06.2022

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:12:09 IST
Reason: SelfAttested

चक	प.नं.	किला	तादादी
18 पीबीएन–ए	16/315	1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 8, 11/1, 11/2, 11/4 12, 13, 18, 19/1, 23	2.352 हैक.

ख. प्रतिवादी सं. 2:–

चक	प.नं.	किला	तादादी
18 पीबीएन–ए	17/315	3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 9, 10	1.012 हैक.

ग. प्रतिवादी सं. 3–4 को ब.हि.ब.:–

चक	प.नं.	किला	तादादी
18 पीबीएन–ए	17/314	16/1, 16/2, 25/1, 25/2	0.506हैक.
	17/315	5/1, 5/2	0.253हैक.
		कुल	0.759हैक.

घ. प्रतिवादी सं.5:–

चक	प.नं.	किला	तादादी
18 पीबीएन–ए	18/314	16/1, 16/2, 17, 19 ता 24 25/1, 25/2	2.277 हैक.
	18/315	14/1/.059, 14/2/.017,15/1, 15/2	0.127 हैक.
		कुल	2.404 हैक.

ड.प्रतिवादी सं. 6:–

चक	प.नं.	किला	तादादी
18 पीबीएन–ए	18/315	1/1 ता 5/3, 13, 14/1/.105, 14/2/.021, 18/1	1.657 हैक.
	17/315	14/1, 15/1, 16, 17, 25/2	0.847 हैक.
		कुल	2.504 हैक.

ड.प्रतिवादी सं. 9 को 0.506 है0 प्रतिवादी संख्या 10 को 0.493 है0 :–

चक	प.नं.	किला	तादादी
18 पीबीएन–ए	17/315	1/1 ता 2/2, 18/2/0.240, 23/0.253	0.999 हैक.

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थंगन नही हो तो नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अकंन किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफतर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 17.06.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:12:09 IST
Reason: SelfAttested

17.06.2022

(रणजीत कुमार RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा